

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 208/2026
अनवान : -

1. गुरनामसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गुरप्रीतसिंह पुत्र बूटासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. हरप्रीतसिंह पुत्र बूटासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. प्रीतमकौर पत्नी बूटासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

- वादीगण

बनाम्

1. किरण पत्नी गोविन्द राम जाति अग्रवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भगतसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा हाल कोट धर्मू तहसील व जिला मानसा (पंजाब)।
3. बलकरण सिंह पुत्र हाकमसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा हाल कोट धर्मू तहसील व जिला मानसा (पंजाब)।
4. नैन्सी गोयल पत्नी लोकेश कुमार गोयल जाति अग्रवाल निवासी नोहर हाल- मालवीय नगर जयपुर।
5. दर्शनसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. जंगीरकौर पत्नी दर्शनसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. जलकौर पत्नी चन्दासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. अंग्रेज कौर पत्नी मुख्त्यारसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. बलविन्द्रसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. राजविन्द्रसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. कर्मजीत कौरी पुत्री मुख्त्यारसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. नसीब कौर पुत्री मुख्त्यारसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. पूर्णसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 01/06/26

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 15 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 221/62 के खसरे 77 की कुल तादादी 15.4015 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

जमाबंदी में दर्ज काश्तकार मुख्ख्यारसिंह पुत्र वीरसिंह सिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस अंगेजकौर (पत्नी), बलविन्द्रसिंह (पुत्र), राजविन्द्रसिंह (पुत्र), कर्मजीत कौर (पुत्री), नसीब कौर (पुत्री) है जिनको अर्जीदावा में प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 कायम किया हुआ हैं। उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज दाखिल है व मुश्तरका रूप से ही रकम राज अदा करते चले आ रहे है। भूमि मुश्तरका होन के कारण से वादी व प्रतिवादीगण का आपस में सीव डोल से सम्बन्धित विवाद बना रहता है वादी विवाद को टालने की गर्ज से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाना चाहता है। वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक समझोता निम्न प्रकार से काबिज है- रोही मौजा 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 221/62 के कुल खसरे 77 की कुल तादादी 15.4015 है0 भूमि के प.न. 313/451 मु.न. (98) के किला नं. 9/5 में से 0.0565 है0, 10/4 की 0.2220 है0, 11 की 0.253 है0 किला नं. 12 में से 0.0868 है0, किला नं. 19 में से में से 0.0868 है0, किला 20 की 0.253 है0, किला 21 की 0.253 है0, किला नं. 22 की 0.0728 कुल किता 8 की कुल तादादी 1.2819 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है।

प.न. 313/450 मु.न. (84) के किला नं. 17 की 0.253 है0, 18 की 0.253 है0, 22/2 की 0.1265 है0, 23 की 0.253 है0 प.न. 313/451 मु.न. (98) के किला नं. 2/6 की 0.1448 है0, 3 की 0.253 है0, 8/5 की 0.0443 है0, 8/6 की 0.0720 है0, 9/4 की 0.0020 है0, 9/5 की 0.0874 कुल किता 10 की कुल तादादी 1.4890 है0 में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है।

प.नं. 313/450 मु.नं. (84) के किला नं. 24 की 0.253 है0, पं. नं. 313/451 मु.नं. 98 किला नं. 4 की 0.253 है0, 7/4 की 0.1279 है0, 12 में से 0.1662 है0, 13 में से 0.0252 है, 18 में से 0.0251 है0, 19 में से 0.1662 है0, 22 में से 0.1802 है0, 23 में से 0.0251 है0 कुल किता 9 कुल तादादी 1.2219 है0 में से 7609/12219 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 काबिज है व 4610/12219 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है।

प.नं. 313/451 मु.नं. (98) किला नं. 7/5 की 0.0070 है0, 13 में से 0.2278 है0, 14/3 की 0.2391 है0, 17 की 0.253 है0, 18 में से 0.2279 है0, 23 में से 0.2279 है0, 24 की 0.0411 है0, कुल किता 7 की कुल तादादी 1.2238 है0 भूमि में से 4492/12238 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है व 4492/12238 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 3 काबिज है व 3254/12238 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 4 काबिज है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प.नं. 313/451 मु.नं. (98) किला नं. 15/7 की 0.0111 है0 गै.मु.रास्ता, 15/8 में से 0.1565 है0, 16/1 की 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 16/2 की 0.2280 है0, 24 की 0.2119 है0, 25/1 की 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 25/2 की 0.2280 है0, प.नं. 313/452 मु.नं. (99) किला नं. 4 की 0.253 है0, 5 की 0.253 है0, प.नं. 314/451 मु.नं. (97) किला नं. 11/4 की 0.0211 है0, 11/5 की 0.0980 है0, 12/5 की 0.1022 है0, 12/6 की 0.0211 है0, 13/3 की 0.1765 है0, 18/3 की 0.1980 है0, 19/4 की 0.2510 है0, 20 की 0.253 है0, 21 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0, 23 में से 0.0306 है0 कुल किता 23 की कुल तादादी 3.049 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 काबिज है।

प.नं. 314/450 मु.नं. (98) किला नं. 18 में से 0.2305 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 व 10 बहि0 काबिज है।

प.नं. 313/451 मु.नं. (98) किला नं. 16 की 0.253 है0, 17 की 0.253 है0, 18 में से 0.025 है0, 24 की 0.253 है0, 25 की 0.253 है0, प.नं. 315/450 मु.नं.(86) किला नं. 21 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0, पं. 314/451 मु.नं. (97) किला नं. 4 ता 7 की 1.012 है0, 14/4 की 0.2430 है0, 15 की 0.253 है0, 16/4 की 0.0739 है0, 16/5 की 0.0481 है0, 17/5 की 0.0121 है0, 17/6 की 0.1199 है0, 23 में से 0.2224 है0, 24 की 0.253 है0, 25 की 0.253 है0, प.नं. 315/451 मु.नं. (96) किला नं. 1 ता 3 की 0.759 है0, 8 ता 12 की 1.2650 है0, 18 की 0.253 है0, 19/3 की 0.2240 है0, 20/4 की 0.1485 है0, 21/3 की 0.2250 है0 कुल किता नं. 32 की कुल 6.9054 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है व शेष 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 13 काबिज है।

इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 14 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने वाद भूमि बाबत बाहमी राजीनामा कर रखा है एवं मुताबिक बाहमी राजीनामा वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी स0 1 ता 13 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 15 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 221/62 के खसरे 77 की कुल तादादी 15.4015 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुशतरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि जमाबंदी में दर्ज काशतकार मुख्त्यारसिंह पुत्र वीरसिंह सिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस अंगेजकौर (पत्नी), बलविन्द्रसिंह (पुत्र), राजविन्द्रसिंह (पुत्र), कर्मजीत कौर (पुत्री), नसीब कौर (पुत्री) है जिनको अर्जीदावा में प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 कायम किया हुआ है। उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज दाखिल है व मुशतरका रूप से ही रकम राज अदा करते चले आ रहे है। भूमि मुशतरका होन के कारण से वादी व प्रतिवादीगण का आपस में सीव डोल से सम्बन्धित विवाद बना रहता है वादी विवाद को टालने की गर्ज से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाना चाहता है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने वाद भूमि बाबत बाहमी राजीनामा कर रखा है एवं मुताबिक बाहमी राजीनामा वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 ता 13 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।


अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 221/62 के कुल खसरे 77 की कुल

Lahuf
अभ्यवह अधिकारी
नोहर

तादादी 15.4015 है0 भूमि में मृतक मुख्त्यारसिंह पुत्र वीरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर प. न. 313/451 मु.न. (98) के किला नं. 9/5 में से 0.0565 है0, 10/4 की 0.2200 है0, 11 की 0.253 है0 किला नं. 12 में से 0.0868 है0, किला नं. 19 में से में से 0.0868 है0, किला 20 की 0.253 है0, किला 21 की 0.253 है0, किला नं. 22 की 0.0728 कुल किता 8 की कुल तादादी 1.2819 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.न. 313/450 मु.न. (84) के किला नं. 17 की 0.253 है0, 18 की 0.253 है0, 22/2 की 0.1265 है0, 23 की 0.253 है0 प.न. 313/451 मु.न. (98) के किला नं. 2/6 की 0.1448 है0, 3 की 0.253 है0, 8/5 की 0.0443 है0, 8/6 की 0.0720 है0, 9/4 की 0.0020 है0, 9/5 की 0.0874 कुल किता 10 की कुल तादादी 1.4890 है0 में से 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प.नं. 313/450 मु.नं. (84) के किला नं. 24 की 0.253 है0, पं. नं. 313/451 मु.नं. 98 किला नं. 4 की 0.253 है0, 7/4 की 0.1279 है0, 12 में से 0.1662 है0, 13 में से 0.0252 है0, 18 में से 0.0251 है0, 19 में से 0.1662 है0, 22 में से 0.1802 है0, 23 में से 0.0251 है0 कुल किता 9 कुल तादादी 1.2219 है0 में से 7609/12219 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 4610/12219 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.नं. 313/451 मु.नं. (98) किला नं. 7/5 की 0.0070 है0, 13 में से 0.2278 है0, 14/3 की 0.2391 है0, 17 की 0.253 है0, 18 में से 0.2279 है0, 23 में से 0.2279 है0, 24 की 0.0411 है0, कुल किता 7 की कुल तादादी 1.2238 है0 भूमि में से 4492/12238 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 4492/12238 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 3254/12238 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.नं. 313/451 मु.नं. (98) किला नं. 15/7 की 0.0111 है0 गै.मु.रास्ता, 15/8 में से 0.1565 है0, 16/1 की 0.025 है0 गै. मु.रास्ता, 16/2 की 0.2280 है0, 24 की 0.2119 है0, 25/1 की 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 25/2 की 0.2280 है0, प.नं. 313/452 मु.नं. (99) किला नं. 4 की 0.253 है0, 5 की 0.253 है0, प.नं. 314/451 मु.नं. (97) किला नं. 11/4 की 0.0211 है0, 11/5 की 0.0980 है0, 12/5 की 0.1022 है0, 12/6 की 0.0211 है0, 13/3 की 0.1765 है0, 18/3 की 0.1980 है0, 19/4 की 0.2510 है0, 20 की 0.253 है0, 21 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0, 23 में से 0.0306 है0 कुल किता 23 की कुल तादादी 3.049 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.नं. 314/450 मु.नं. (98) किला नं. 18 में से 0.2305 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.नं. 314/450 मु.नं. (98) किला नं. 16 की 0.253 है0, 17 की 0.253 है0, 18 में से 0.0225 है0, 24

की 0.253 है0, 25 की 0.253 है0, प.नं. 315/450 मु.नं.(86) किला नं. 21 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0, पं. 314/451 मु.नं. (97) किला नं. 4 ता 7 की 1.012 है0, 14/4 की 0.2430 है0, 15 की 0.253 है0, 16/4 की 0.0739 है0, 16/5 की 0.0481 है0, 17/5 की 0.0121 है0, 17/6 की 0.1199 है0, 23 में से 0.2224 है0, 24 की 0.253 है0, 25 की 0.253 है0, प.नं. 315/451 मु. नं. (96) किला नं. 1 ता 3 की 0.759 है0, 8 ता 12 की 1.2650 है0, 18 की 0.253 है0, 19/3 की 0.2240 है0, 20/4 की 0.1485 है0, 21/3 की 0.2250 है0 कुल किता 32 की कुल 6.9054 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 को ख्वातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक01/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 208/2026

अनवान : –

1. गुरनामसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. गुरप्रीतसिंह पुत्र बूटासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. हरप्रीतसिंह पुत्र बूटासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. प्रीतमकौर पत्नी बूटासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

– वादीगण

बनाम्

1. किरण पत्नी गोविन्द राम जाति अग्रवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भगतसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा हाल कोट धर्मू तहसील व जिला मानसा (पंजाब)।
3. बलकरण सिंह पुत्र हाकमसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा हाल कोट धर्मू तहसील व जिला मानसा (पंजाब)।
4. नैन्सी गोयल पत्नी लोकेश कुमार गोयल जाति अग्रवाल निवासी नोहर हाल– मालवीय नगर जयपुर।
5. दर्शनसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. जंगीरकौर पत्नी दर्शनसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
7. जलकौर पत्नी चन्दासिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. अंग्रेज कौर पत्नी मुख्त्यारसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. बलविन्द्रसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. राजविन्द्रसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. कर्मजीत कौरी पुत्री मुख्त्यारसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. नसीब कौर पुत्री मुख्त्यारसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. पूर्णसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 54 सन 2026 निर्णय दिनांक 01/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 बरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 221/62 के कुल खसरे 77

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की कुल तादादी 15.4015 है० भूमि में मृतक मुख्यारसिंह पुत्र वीरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर प.न. 313/451 मु.न. (98) के किला नं. 9/5 में से 0.0565 है०, 10/4 की 0.2200 है०, 11 की 0.253 है० किला नं. 12 में से 0.0868 है०, किला नं. 19 में से 0.0868 है०, किला 20 की 0.253 है०, किला 21 की 0.253 है०, किला नं. 22 की 0.0728 कुल किता 8 की कुल तादादी 1.2819 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.न. 313/450 मु.न. (84) के किला नं. 17 की 0.253 है०, 18 की 0.253 है०, 22/2 की 0.1265 है०, 23 की 0.253 है० प.न. 313/451 मु.न. (98) के किला नं. 2/6 की 0.1448 है०, 3 की 0.253 है०, 8/5 की 0.0443 है०, 8/6 की 0.0720 है०, 9/4 की 0.0020 है०, 9/5 की 0.0874 कुल किता 10 की कुल तादादी 1.4890 है० में से 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प.नं. 313/450 मु.नं. (84) के किला नं. 24 की 0.253 है०, पं. नं. 313/451 मु.नं. 98 किला नं. 4 की 0.253 है०, 7/4 की 0.1279 है०, 12 में से 0.1662 है०, 13 में से 0.0252 है०, 18 में से 0.0251 है०, 19 में से 0.1662 है०, 22 में से 0.1802 है०, 23 में से 0.0251 है० कुल किता 9 कुल तादादी 1.2219 है० में से 7609/12219 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 4610/12219 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.नं. 313/451 मु.नं. (98) किला नं. 7/5 की 0.0070 है०, 13 में से 0.2278 है०, 14/3 की 0.2391 है०, 17 की 0.253 है०, 18 में से 0.2279 है०, 23 में से 0.2279 है०, 24 की 0.0411 है०, कुल किता 7 की कुल तादादी 1.2238 है० भूमि में से 4492/12238 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 4492/12238 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 3254/12238 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.नं. 313/451 मु.नं. (98) किला नं. 15/7 की 0.0111 है० गै.मु.रास्ता, 15/8 में से 0.1565 है०, 16/1 की 0.025 है० गै.मु.रास्ता, 16/2 की 0.2280 है०, 24 की 0.2119 है०, 25/1 की 0.025 है० गै.मु.रास्ता, 25/2 की 0.2280 है०, प.नं. 313/452 मु.नं. (99) किला नं. 4 की 0.253 है०, 5 की 0.253 है०, प.नं. 314/451 मु.नं. (97) किला नं. 11/4 की 0.0211 है०, 11/5 की 0.0980 है०, 12/5 की 0.1022 है०, 12/6 की 0.0211 है०, 13/3 की 0.1765 है०, 18/3 की 0.1980 है०, 19/4 की 0.2510 है०, 20 की 0.253 है०, 21 की 0.253 है०, 22 की 0.253 है०, 23 में से 0.0306 है० कुल किता 23 की कुल तादादी 3.049 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.नं. 314/450 मु.नं. (98) किला नं. 18 में से 0.2305 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.नं. 314/450 मु.नं. (98) किला नं. 16 की 0.253 है०, 17 की 0.253 है०, 18 में से 0.0225 है०, 24 की 0.253 है०, 25 की 0.253 है०, प.नं. 315/450 मु.नं.(86) किला नं. 21 की 0.253 है०, 22 की 0.253 है०, पं. 314/451 मु.नं. (97) किला नं. 4 ता 7 की 1.012 है०, 14/4 की 0.2430 है०, 15 की 0.253 है०, 16/4 की 0.0739 है०, 16/5 की 0.0481 है०, 17/5 की 0.0121 है०, 17/6 की 0.1199 है०, 23 में से 0.2224 है०, 24 की 0.253 है०, 25 की 0.253 है०, प.नं. 315/451 मु.नं. (96) किला नं. 1 ता 3 की 0.759 है०, 8 ता 12 की 1.2650 है०, 18 की 0.253 है०, 19/3 की 0.2240 है०, 20/4 की 0.1485 है०, 21/3 की 0.2250 है० कुल किता 32 की कुल 6.9054 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक01/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर